राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 5(8)ग्रावि/अनु–8/जि.प्र.अ.निरीक्षण/2019 जयपुर, दिनांक 07/12/2020

:: आदेश ::

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की संचालित योजनाओं की सफल कियान्वति, गुणात्मक परिसम्पति सर्जन,आकर्षक आधारभूत ढ़ॉचा विकसित करने, योजनाओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय अधिकारियों को ज़िला आवंटित कर जिला प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देशों को शिथिल करते हुये निम्नानुसार जिला आवंटित कर दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

विभागीय आदेश कमांक एफ–सीबीओ/आरडीडी/जिस/10–11/पार्ट 5 दिनांक 09.08.2016 द्वारा जिला प्रभारी के रूप में नियुक्त राज्य स्तरीय अधिकारियों को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी मनोनीत किया जाता है।

1. जिला स्तर पर आयोजित होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में राज्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे।
2. राज्य स्तरीय अधिकारी अपने आवंटित जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की संचालित सभी योजनाओं की जिला स्तर पर जिला स्तरीय संबंधित सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक/वीसी आयोजित कर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा करेंगें।
3. जिला स्तर पर कार्यों की स्वीकृति, राशि हस्तानान्तरण; उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन आदि की विस्तृत समीक्षा करेंगें।
4. जिला भ्रमण के दौरान एक पंचायत समिति तथा दो ग्राम पंचायतों की समग्र समीक्षा की जावे।
5. विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जावे।
6. राज्य स्तरीय अधिकारी/योजना प्रभारी अपने अनुभाग से जारी होने वाले आदेश, परिपत्र, दिशा–निर्देश आदि की प्रति नियमित रूप से जिला प्रभारियों को भिजवायेंगें। जिससे जिला प्रभारियों को नवीनतम दिशा निर्देशों की सम्पूर्ण जानकारी रहे।
7. राज्य स्तरीय अधिकारी अपने अनुभाग से सबंधित बिन्दु जिनकी समीक्षा जिला प्रभारियों से अपेक्षित है, सभी जिला प्रभारियों को उपलब्ध करायेंगें। जिससे भ्रमण के दौरान वांछित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके। समीक्षा हेतु सूचना प्रपत्र, समीक्षा बिन्दु सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में परियोजना निदेशक पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.) को भी उपलब्ध करायेंगे, जिससे जिला प्रभारियों को उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके।
8. जिला भ्रमण के पश्चात् समस्त जिला प्रभारियों द्वारा IWMS पर निरीक्षण रिर्पोट ऑनलाईन दर्ज की जायेगी।
9. **राज्य स्तर पर जिला भ्रमण की समीक्षा की जायेगी। संबंधित प्रभारी अपने भ्रमण का जिलेवार प्रस्तुतीकरण करेगें।**

Manita C:\USERS\ADMINISTRATOR\DOWNLOADS\ALLOTED DISTRIC LIST.DOCX

10. राज्य स्तरीय अधिकारी जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध/आवंटित है इसी वाहन से जिला भ्रमण हेतु जायेंगे।
11. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू) को एसएपी अनुभाग की सांसद योजना में स्वीकृत एक वाहन आवंटित किया जाता है। इस वाहन के अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा के दैनिक आधार पर स्वीकृत वाहन का उपयोग करने हेतु अधिकृत होगें।
12. पंचायतीराज के अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित नहीं है, वे पंचायतीराज योजनाओं में दैनिक आधार पर स्वीकृत वाहन के उपयोग हेतु अधिकृत होगें।
13. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.12.2014 के निर्देशानुसार जिला भ्रमण पश्चात राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी अपने **एस एस ओ आईडी** के माध्यम से निरीक्षण रिर्पोट, लक्ष्य प्राप्ति योजनाओं की क्रियान्विति आदि समस्त सूचनाऐं दर्ज की जावे। इस पोर्टल की समीक्षा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा की जा रही है। उक्त पोर्टल पर मासिक निरीक्षण, योजना क्रियान्विति, रात्रि विश्राम एवं प्रकरण निस्तारण की प्रगति नियमित रूप से दर्ज करना अपेक्षित है।
14. जिला स्तर पर समीक्षा बैठक, क्षेत्र भ्रमण आदि समस्त व्यवस्थाओं का उतरदायित्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बंधित जिला परिषद का होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

04/12/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-</u>

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
7. स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका।
8. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
9. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,समस्त राजस्थान।
11. संबंधित अधिकारी...।
12. एसीपी, ग्रामीण विकास विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

07/12/2020

(हितबल्लभ शर्मा)
परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)

Manita C:\USERS\ADMINISTRATOR\DOWNLOADS\ALLOTED DISTRIC LIST.DOCX

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
जिला प्रभारी अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	आवंटित जिला
1.	श्री विजयपाल सिंह, अति.आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम),पंचायती राज	अजमेर
2.	श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुंतल, अति. आयु. एवं सं. शा. सचिव (द्वितीय), पं.राज	भरतपुर
3.	श्री राजेन्द्र विजय, परि.निदे. पदेन संयुक्त सचिव (ईजीएस), महात्मा गांधी नरेगा	अलवर
4.	श्री प्रेम सिंह चारण, अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), पं.राज	जोधपुर
5.	श्री मगन लाल योगी, उपायुक्त (विधि), पंचायती राज	चित्तौडगढ़
6.	श्री बलदेव प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम, ईजीएस	जैसलमेर, बाड़मेर
7.	श्री राकेश राजोरिया, संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रावि	सवाई माधोपुर
8.	श्री गौरव चतुर्वेदी, उपायुक्त एवं सयुंक्त शासन सचिव (द्वितीय), पंचायती राज	उदयपुर
9.	श्री प्रवीण कुमार लखेरा, उप महाप्रबन्धक (एचआर एण्ड टी), राजीविका	चुरू
10.	श्रीमती ऋतु गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.	दौसा
11.	श्री हरि सिंह मीना, वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज	नागौर
12.	श्री जयपाल सिंह मेडतिया, स्टेट नोडल अधिकारी, पीएमएवाई–जी	जालौर, सिरोही
13.	श्रीमती कोमल आगरी, वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा	पाली
14.	श्री हितबल्लभ शर्मा, परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (एम एण्ड ई), ग्रावि	जयपुर, बारां
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, मुख्य कार्य. अधि. एवं परि. निदे., बायोफ्यूल	सीकर, झुन्झुनू
16.	श्री के. के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि	धौलपुर, करौली
17.	श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज	कोटा, बूंदी
18.	श्री के.के. सैनी, संयुक्त निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय, जयपुर	बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
19.	श्री धर्मपाल, संयुक्त निदेशक(प्रशा.),ज.ग्र.वि.एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय, जयपुर	हनुमानगढ़
20.	श्री पुखराज मैशन, संयुक्त निदेशक,ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय, जयपुर	झालावाड़,
21.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक,ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय, जयपुर	गंगानगर
22.	श्री एल.एल. पहाड़िया, संयुक्त निदेशक (मोनिटरिंग), पंचायतीराज	टोंक
23.	श्री सोमेन्द्र शर्मा, संयुक्त निदेशक,ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय, जयपुर	राजसमंद
24.	श्री बी.एल. वर्मा, संयुक्त निदेशक,ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय, जयपुर	डूंगरपुर
25.	श्री अरविन्द सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस	भीलवाडा
26.	श्री भाष्कर दत्त त्रिपाठी, परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव (एसएपी) ग्रा.वि.	बीकानेर

07/12/2020.

(हितबल्लभ शर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

Manita C:\USERS\ADMINISTRATOR\DOWNLOADS\ALLOTED DISTRIC LIST.DOCX